# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
# कार्यसूची
## षष्टम सत्र
## सोमवार, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 (शक्)
## <u>2.00 बजे अपराह्न</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(1) **तारांकितः** (पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे)

(i) दिन के लिए

(2) **अतारांकितः** (पृथक सूची में  मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे)

(i) दिन के लिए

2. **<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः</u>**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** सोमवार, 11 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **<u>कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगेः</u>**

(1) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री :** हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा, 1972 की धारा-26 और हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम,1974 की धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पटटा नियम, 2013 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्रीः** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के 37वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** निम्न लिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगेः-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>:-

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगीः-

(i) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वा0) के पैरा संख्या:3.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वा0) के पैरा संख्या:3.2 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वा0) के पैरा संख्या:4.7 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित कि प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **11वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **11वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)जोकि **गृह विभाग** से सम्बद्ध पुलिस विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

5. **प्रवर समिति के प्रतिवेदनः**

(1) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री एवं सभापति, प्रवर समिति** (2014-15) (**बारहवीं विधान सभा**) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री एवं सभापति, प्रवर समिति** (2014-15)(**बारहवीं विधान सभा**) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

6. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-**

(1) **श्री महेश्वर सिंह,** "दिनांक 26 जुलाई, 2014 को छपे समाचार ' **उरनी गांव को भू-स्खलन से खतरा**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. **विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्तावः-**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2012 को पारित **हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012 ( 2012 का विधेयक संख्यांक 26)** को वापिस लिया जाए।

**शिमला-171004** **सुन्दर सिंह वर्मा ,**

**दिनांकः 08 अगस्त 2014 07:32 PM** **सचिव।**

******************

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो,की भी जांच कर लें)